भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1438 का उत्तर

रेलवे में समूह क, ख, ग और घ में रिक्तियां

1438. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री आनंद भदौरिया:
श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:
श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:
श्री राजीव राय:
श्रीमती माला राय:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय रेल के कर्मचारियों की संख्या में निरंतर कमी की जानकारी है और यदि हां, तो समयबद्ध रीति से रिक्तियों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं;

(ख) रेलवे में समूह क, ख, ग और घ में श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार कितनी रिक्तियां हैं;

(ग) रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवल की कमी का सामना करते हुए अपने परिचालन को कुशल रीति से प्रबंधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए नए कर्मचारियों की संख्या कितनी है और पिछले दशक के दौरान सृजित रोजगार के अवसरों की संख्या कितनी है;

(च) विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों को न भरने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या महाराष्ट्र के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई विशेष योजना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ज): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

रेलवे में समूह क, ख, ग और घ में रिक्तियों के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर, श्री अरविंद गणपत सावंत, श्री आनंद भदौरिया, श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे, श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर, श्री राजीव राय, श्रीमती माला राय और श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे के अतारांकित प्रश्न सं. 1438 के भाग (क) से (ज) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ज): भारतीय रेल के आकार, स्थानिक वितरण और परिचालनिक महत्ता को ध्यान में रखते हुए पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, यांत्रिकीकरण और नवोन्मेष पद्धतियों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति प्रदान की जाती है। रिक्तियों को मुख्यतः परिचालनिक व प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग-पत्र भेजकर भरा जाता है।

कोविड-19 के कारण लागू प्रतिबंधों में ढील देने के बाद, दो बड़ी परीक्षाओं, जिनमें 2.37 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया, का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है।

1.26 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 28.12.2020 से 31.07.2021 तक 7 चरणों में 211 शहरों और 726 केंद्रों में 68 दिनों में 133 पालियों में आयोजित की गई थी।

इसी तरह, 1.1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 17.08.2022 से 11.10.2022 तक 5 चरणों में 191 शहरों और 551 केंद्रों में 33 दिनों में 99 पालियों में आयोजित की गई थी।

इस परीक्षाओं के आधार पर रेलों पर 1,30,581 अभ्यार्थियों की भर्ती की गई है।

रेलवे भर्ती बोर्ड की परिक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर लोगों और संसाधनों को जुटाने तथा जनशक्ति को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। रेलवे ने इन सभी चुनौतियों को पार किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक भर्ती का संचालन किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इस तरह के कदाचार की कोई घटना सामने नहीं आई है।

2004-2014 की तुलना में 2014-2024 के दौरान भारतीय रेल में की गई भर्तियां निम्नानुसार हैं:-

अवधि	भर्तियाँ
2004-14	4.11 लाख
2014-24	5.02 लाख

इसके अलावा, प्रणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' पदों की विभिन्न कोटियों में भर्ती के लिए इस वर्ष वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की एक प्रणाली शुरू की है। तदनुसार, सहायक लोको पायलटों, तकनीशियनों, रेलवे सुरक्षा बल में उप-निरीक्षकों और कांस्टेबलों, कनिष्ठ अभियंता, डिपो सामग्री अधीक्षकों, रासायनिक एवं धातुकर्म पर्यवेक्षकों के पदों को भरने के लिए जनवरी से जुलाई 2024 के दौरान 40,554 रिक्तियों के लिए पाँच केंद्रीकृत अधिसूचनाएं अधिसूचित की गई हैं। वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत करने से अभ्यर्थियों को निम्नानुसार लाभ होगा:

- **अभ्यर्थियों को अधिक अवसर;**
- **प्रतिवर्ष योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अवसर;**
- **परीक्षाओं की निश्चितता;**
- **भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियों में तेज़ी।**

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भर्तियां अखिल भारतीय आधार पर आयोजित की जाती हैं न कि राज्य-वार। कोई भी अभ्यर्थी, जो अर्हता मानदंड पूरा करते हों, लिंग, भाषा, जन्म/क्षेत्र के स्थान आदि पर विचार किए बिना निरपेक्ष रूप से आवेदन कर सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए आरक्षण के मानदंडों का भारतीय रेल में भी अनुपालन किया जाता है।

******